MP Industrial Development Corporation Limited

Azadi Ka Amrit Mahotsav

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्र.167(3)/एमपीआईडीसी/स्था.–से.नि. 17/2023/9059 भोपाल, दिनांक : 06/10/2023

//आदेश//

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल में कनिष्ठ यंत्री (सिविल) पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल के पत्र क्रमांक एमपीओ/बीडी/1304, दिनांक 06.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची सह प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान लेवल–9, रु0 36200–114800 (सातवाँ वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कनिष्ठ यंत्री (सिविल) पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रूप से अगामी आदेश तक एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

क्र	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	पदस्थापना का स्थल
1	श्री अमन शर्मा	फ्लैट नं. 506, बी– ब्लॉक, निर्मलम, आशिमा रॉयल सिटी, कटारा हिल्स, जिला–भोपाल (म.प्र.), पिन कोड–462047	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., मुख्यालय, 21, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
2	श्री सत्येन्द्र सिंह बघेल	सी–12, बीटीएम, स्टाफ कॉलोनी, इण्डस्ट्रियल एरिया, बांसवाड़ा, राजस्थान, पिन कोड–327001	अनारक्षित	
3	श्री वैभव उपाध्याय	एमआईजी–2, 49, दीनदयाल नगर, मकरोनिया, जिला–सागर, पिन कोड–470004	अनारक्षित (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.सी/3–2/97/3/ एक, भोपाल, दिनांक 10/18 फरवरी, 1997 की कण्डिका क्र.5 के अनुसार अनारक्षित, महिला क्षैतिज आरक्षण के महिला अभ्यर्थी चयनित न होने के कारण उसी वर्ग के पुरूष का चयन किए जाने से इस अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा रही है।)	
4	श्री भावेश जयसवाल	ग्राम पोस्ट– सुल्तानिया, तहसील– पचोर, जिला–राजगढ़ (म.प्र.), पिन कोड–465683	अन्य पिछड़ा वर्ग	
5	श्री वसीम खान	162/1, सरस्वती हाई स्कूल के पास, रेलवे कॉलोनी, जिला–श्योपुर (म.प्र.), पिन कोड–476337	अन्य पिछड़ा वर्ग	
6	सुश्री अदिति प्रसाद	एमआईजी–108ए, बीडीए कॉम्प्लेक्स, 9ए, साकेत नगर, जिला–भोपाल (म.प्र), पिन कोड–462024	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला क्षैतिज आरक्षण)	
7	श्री प्रवीण अहिरवार	वार्ड नं.11, थाना मोहल्ला, हिंदोरिया, जिला–दमोह (म.प्र), पिन कोड–470771	अनुसूचित जाति	
8	श्री महेन्द्र सिंह	एचआईजी 38, फेस–2, सनराइज मेगासिटी, राजघाट रोड, जिला–सागर (म.प्र), पिन कोड–470001	अनुसूचित जनजाति	

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India)
Tel. : (91) 0755-2571830, 2575618, 3523555, 3523505, E-Mail : helpdesk@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in

क्र	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	पदस्थापना का स्थल
9	श्री अभिषेक केवड़ा	ए–29/6, वसंत विहार कॉलोनी, जिला–उज्जैन (म.प्र), पिन कोड–456010	अनुसूचित जनजाति (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.सी/ 3–2/97/3/ एक, भोपाल, दिनांक 10/18 फरवरी, 1997 की कण्डिका क्र.5 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, महिला क्षैतिज आरक्षण के महिला अभ्यर्थी चयनित न होने के कारण उसी वर्ग के पुरूष का चयन किए जाने से इस अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा रही है।)	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., मुख्यालय, 21, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
10	श्री अरूण कुमार ताड़	ग्राम–छायां, ईस्ट पोस्ट घुघरी, तहसील – पेटलावाड़, जिला–झाबुआ (म.प्र), पिन कोड–457770	अनुसूचित जनजाति (बैकलॉग)	
11	श्री आकाश शर्मा	102, नारायण अपार्टमेंट, 24 बीघा, विनय नगर, बहोदापुर, जिला–ग्वालियर (म.प्र), पिन कोड–474012	अनारक्षित (ई.डब्ल्यू.एस.)	

2. उपरोक्त निगम सेवकों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं शासन के अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
3. परिवीक्षा पर पदस्थ सेवकों को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 अनुरूप परिवीक्षा अवधि में इस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पदीय वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
4. नियुक्त निगम सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।
5. यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
6. नियुक्त निगम सेवक को आदेश जारी होने के पश्चात् तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति आदेश सम्बन्धित निगम सेवक के संदर्भ में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
7. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।

9. संबंधित निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण नही कराया जाएगा।
10. इस आदेश से नियुक्त निगम सेवक कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
11. यदि निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह 01 माह का समयावधि नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।
12. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उवबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) उपबंधो का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।

(सी.एस. धुर्वे)
कार्यकारी संचालक

पृ.क्र.167(3)/एमपीआईडीसी/स्था.–से.नि. 17/2023/ **भोपाल, दिनांक : /10/2023**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. महाप्रबंधक (स्थापना), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए उन्हें प्राप्त करने के उपरन्त ही कार्यभार ग्रहण सूनिश्चित कराएँ।
3. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसीलि, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर एवं रीवा।
4. मुख्य अभियंता/मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
5. महाप्रबन्धक, (प्रशासन), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
6. श्री/सुश्री .... की ओर पालनार्थ प्रेषित तथा सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात् तत्काल निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति आदेश सम्बन्धित अधिकारी के संदर्भ में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप

कार्यकारी संचालक

(एमपीआईडीसीलि. में कनिष्ठ यंत्री पद पर नियुक्ति)

शपथ पत्र

मैं ....आयु..............पुत्र/पुत्री/पत्नी...निवासी ....
....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ–

फोटो

1. यह कि मेरा चयन कनिष्ठ यंत्री, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहाराया गया हैं और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/ संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वार्जित नही किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किऐ हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए है, यदि उनमें कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाऐ जाते हैं, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्व असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता ....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ–पत्र कंडिका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक............................को...............................मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता